उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई–मेल/फैक्स

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट–विधानसभा, रायपुर–492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स–0771–2282530, 2285590 ई–मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र0– छग0/रायगढ़/चू0प0–05/38 एम0पी0आर0 27003 दिनांक :– 02/11/2017

प्रति,

सर्वश्री के0 ए0 राव एण्ड कम्पनी,
पार्टनर श्री रामभगत गुप्ता,
निवासी– न्यू पोस्ट ऑफिस रोड,
पोस्ट एवं तहसील – खरसिया,
जिला – रायगढ, छत्तीसगढ – 496661

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित आपकी बानीपाथर चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 7.409 हे0 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 25/10/2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री विक्रम गुप्ता, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:–

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Scheme of Mining vide RGH/LST/MPLN-138/NGP/2015 Nagpur dated 12/04/2016 for the period of 2015-16 to 2017-18: **Borehole:** For the year 2016-17, it has been proposed to carry out 02 nos. of borehole up to a cumulative depth of 60 m; whereas none of the boreholes have been drilled. **Development:** In the approved Scheme of Mining, there was a proposal given for production of Mineral in the year 2016-17 from the central part of the Pit no.2, whereas the production and development was carried out from different locations i.e. north-eastern and eastern part of the Pit no. 2. **Stacking of Mineral/Ore:** In the approved Scheme of Mining, there was no such proposal given for stacking of Mineral/Ore, whereas closing stock for year 2016-17, 39286.00 metric tones of mineral/ore has been stacked at northern part of the lease area near pillar no. 1. **Afforestation:** There was a proposal given for plantation of 150 nos. of plants during 2015-16 to 2017-18, whereas none of the plants have been planted so far. **Protective Measures:** There was a proposal given for construction of Garland drain around the dump bottom to prevent the rolling/flow down of boulders/soil and wash off final material, the same has not been constructed.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilative works carried out has not been submitted for the year 2015-16.
Rule 27 (2)	An amount equal to the difference between the financial assurance due has not been submitted within ninety days from the date of notification.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2015-16 and 2016-17.
Rule 35	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines before 1st day of July for the year 2016-17 has not been submitted.
Rule 45 (5) (b) & (c)	**मासिक विवरणियाँ :** खान की माह अप्रैल 2015 से मासिक विवरणीयां ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणियाँ की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणियाँ संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। **वार्षिक विवरणियाँ :** खान की वित्त वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की वार्षिक विवरणियाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणियों की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणियाँ www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।

कृ0पृ0प0..2.

	उपरोक्त नियम संख्या 45 (5) (b) एवं (c) के संबंध में आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 09/03/2017 द्वारा भी सूचित किया गया था।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7)(क) के अंतर्गत

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर—440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्‌ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर